App – A

Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान तहसीलदार बनाम बसराम — किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 574/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 27/3, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 27/1, 28, 41, 42, 43 वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र ललवाड़ी तहसील निवाई के रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम बसराम दर्ज करने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवार हल्का संग्रामपुरा एवं भू.अ.नि. ललवाड़ी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम विश्राम पुत्र गंगाबिशन की बजाय बसराम पुत्र गंगाबिशन होना बताया गया है तथा तहसीलदार निवाई द्वारा भी प्रार्थी का नाम पटवार हल्का संग्रामपुरा/भू.अ.नि. ललवाड़ी की रिपोर्ट अनुसार परिवर्तन करने की अभिषंशा की है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई की अभिषंशा एवं पटवार हल्का संग्रामपुरा/भू.अ.नि. ललवाड़ी की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम विश्राम पुत्र गंगाबिशन के स्थान पर बसराम पुत्र गंगाबिशन शुद्ध कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	